न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या :– 36/ 2020 पुराना, 2.../2023 दायर तारीख :– 11.08.2020

1. जगदीश पुत्र नाथूराम जाति अहीर (यादव) निवासी रेल्वे मैन अंडरपास के सामने बधाल तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. मालीराम पुत्र नाथूराम
2. बंशीधर पुत्र मालीराम
3. श्योपुरी देवी पत्नी मालीराम
4. सीतादेवी पत्नी बंशीधर

समस्त जाति अहीर (यादव) नि0 अमरखेडा के पास तन बधाल तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री लक्ष्मण सिंह खंगारोत अधिवक्ता वादी
श्री राजकुमार यादव अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक :- 10/09/25

1. संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी खाता संख्या पुराना 444 व नया 447 की आराजी खसरा संख्या 83 रकबा 3.6797 है0 वाके ग्राम बधाल पट0 हल्का बधाल भू0अ0नि0 बधाल तह0 कि0 रेनवाल में 1/12 हिससे का खातेदार है तथा शेष हिस्सा वादी के सह खातेदारो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी द्वारा उक्त जमीन अपनी स्वअर्जित आय से जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरीद की गई थी। वादी व उसके सहखातेदार आपसी सहमति से मौखिक रूप से विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है वादी का हिस्सा उक्त आराजी में दादिया रोड के पश्चिमी दिशा पर रोड के लगवा है। जिसमे वर्तमान में वादी ने बाजरे की फसल काश्त कर रखी है। प्रतिवादीगण का वादी वादी की उक्त आराजीयात से कोई संबंध नहीं है और नहीं प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात से सह खातेदार है इसके बावजूद प्रतवादीगण जानबूझकर वादी की मौके पर काबिज काश्त व हिस्से की उक्त आराजीयात में अनाधिकृत रूप से घुसकर उसमें उगी फसल को नुकसान पहुचाते रहते है तथा जानवरों को घुसा देते है। और वादी से लडाई झगडा व वाद विवाद करते रहते ह। वादी ने प्रतिवादीगण को 107–116 में पांबद करने हेतु इस्तागासा पेश कर रखा है । इसके बावजूद प्रतिवादीगण वादी की उक्त कब्जे की आराजी पर कब्जे करने पर आमदा है इसी आशय से दिनांक 07.08.2020 को प्रतिवादी गण वादी की उक्त आराजीयात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वादी की फसल को नुकसान पहुंचाने लगे और कब्जा करने की चेष्ठा करने लेगे जिस पर प्रतिवादीगण ने बडी मुश्किल से उनको रोका तब प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि आयंदा वादी की जमीन पर कब्जा कर के वादी को बेदखल कर देगं और वादी की बोई हुई फसल को भी काटकर ले जाएगे। यदि प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे काश्त की भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज है पर जबरन कब्जा कर लिया और फसल को काटर ले गए तो वादी को असहनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा। इससे वादी के वैधानिक हक व अधिकार प्रभावित होंगें तथा अनावश्यक मुकदमें वादी व कानूनी पैचेदगिया उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थितियों में वादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञ से पांबद किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

2. वादी का वाद रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार यादव ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण 1 से 4 ने जरिए अधिवक्ता वादीगण के वादीगण के वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया तथा बताया कि वादी का वादपत्र का नम्बर मद नम्बर 3 जिस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अनुसार पेश किया तथा बताया की वादी का वादपत्र का नम्बर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत है एंव अस्वीकार है।वादी आदतन मुकदमेबाज व्यक्ति है तथा धारा 107–116 द0प्र0स0 के तहत झूठे तथ्यों पर पेश किया इस्तगासा खारिज हो चुका है। तथा वादी मनगढंत तथ्य अंकित कर न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर आगामी अन्य नया दावा /मुकदमा करने की फिराक में है। वाद पत्र का मद नम्बर 4 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है वादी द्वारा समस्त तथ्य गलत दर्ज किए गए है। वादी आदतन मुकदमें बाज व्यक्ति है तथा वादी किसी भी प्रकार से मिन प्रतिवादीगण को पांबद कराने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र का मद नम्बर 5 गलत होने से अस्वीकार है वादी द्वारा दिनांक 07.08.2020 का तथ्य मनगंढत व सरासर झूठे अंकित किए है इसलिए कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है। वादी किसी प्रकार से मिन प्रतिवादीगण को पांवद करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात संख्या 1 से 4 कायम की गई।

1. आया विवादग्रस्त आराजीयात् खसरा नंबर 83 रकबा 3.679 हैक्टेयर बा॰2 वाकै ग्राम बधाल प.ह. बधाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर में वादी का 1/12 हिस्सा है, जो कि वादी ने स्वअर्जित आय से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है एवं शेष हिस्सा सह खातेदारों के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी व सह खातेदारों ने आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है एवं वादी अपनी भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण नाजायज व जबरन कब्जा करना चाहते हैं?

(बाजिम्मे वादी)

2. आया वादी आदतन मुकदमेबाज व्यक्ति है तथा षडयंत्र के तहत मनगढंत तथ्य अंकित कर न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर आगामी मुकदमा करने की फिराक में है। अतः वादी किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है?

(बाजिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4)

3. आया वादी उक्त वादग्रस्त आराजी में स्वयं के हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त व उपयोग एवं उपभोग में दखलंदाजी, मजाहमत, बेदखल फसल को नुकसान व अनधिकृत निर्माण नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है?

(बाजिम्मे वादी)

4. दादरसी?

4. वादीगण की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में पीडब्लू –01 श्री जगदीश पुत्र नाथूराम के सशपथ बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श1 जमाबन्दी संवत 2076–79 , प्रदर्श 2 बेचान पत्र प्रदर्शित करवाए गए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी

5. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहन में डीडब्लू–01 वंशीधर पुत्र मालीराम के बयानात कलमबद्ध करवाये गये।
6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वरवक्त बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी मे सहखातेदार नहीं है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसके बावजूद प्रतिवादीगण वादी की मौके पर काबिज काश्त पर हिस्से की आराजीयात पर नाजायज कब्जा करना चाहते है। जिसके कारण आयेदिन वादी की आराजीयात में अनाधिकृत रूप से घुसकर उसमें उगी फसल को नुकसान पहुचाते है तथा जानवरों को घुसा देते है। और वादी से लडाई झगड़ा करते है। अतः प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञ से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
7. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी आदतन मुकदमें बाज व्यक्ति है तथा षडयंत्र के तहत मनगंढत तथ्य अंकित कर न्यायालय में गुमराह कर अपने अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर अन्य नया दावा /मुकदमे करने की फिराक में है। वादी एक मुकदमेंबाज व्यक्ति है। जिसमें प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने तथा रास्ते में व्यवधान के लिए दावा पेश किया है जो काबिले खारिज है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार नहीं है। अधिवक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी ने बयानात अनुसार दावा डिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन बहस के दौरान किया गया।
8. हमने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यान पूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड, दस्तावेजात तथा बयानात का गंभीरतपूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया जिससे स्पष्ट है कि वादी हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार एंव कब्जा काश्त होने के आधार पर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त धारा के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण के विचारण एंव निर्णयन से सुसंगत विधिक प्रावधान धारा 188 आर0टी0ए0 पर विचार किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है।

धारा 188 : **Injunction against wrongful ejectment**

1. **Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for tha grant of a perpetual injunction.**
2. **The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases namely-**
   a. **If there exist no standard for ascertaining the actual damage caused of likely to be caused by tha invasion;**
   b. **If the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;**
   c. **Where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion ;**
   d. **Where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.**

त धारा के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की निम्न प्रमुख शर्ते है।

1. वादी धारा 5(43) के अनुसार अभिधारी होना चाहिए
2. ऐसे अधिकारी की भूमि में निहित उसके अधिकार या उपभोग का अतिलंधन हो रहा हो अथवा होना आंशकित है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेन्वाल

प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

9. तनकी संख्या 01:—इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाह में वादी श्री जगदीश के बयान कलमबन्द करवाए गए तथा वाद पत्र को साबित करने हेतु प्रदर्श 01 से 02 दस्तावेज दर्शित करवाए गए । वादी प्रदर्श 01 व 02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का 1/12 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड बेचान पत्र क्रय किया गया था तथा वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में वादी वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्से का खातेदार दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में वादी के वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने के कथन को स्वीकार किया गया । वादी द्वारा वादपत्र की मद संख्या वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करने के कथन का प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादी गवाह पीडब्लू —01 द्वारा दौराने जिरह वादग्रस्त आराजी से स्वंय का संबंध नहीं होना स्वीकार किया है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकोर्ड खातेदार है तथा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपनी भूमि पर काबिज काश्त कर उपयोग व उपभोग करना आ रहा है। वादी द्वारा कब्जे काश्त की भूमि प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की। आराजीयात में अनाधिकृत रूप से घुसकर उसमें भी फसल को नुकसान पहुँचाने एंव नायाजायाज रूप से कब्जा करने की कोशिश का कथन किया गया है। जिसकी वजह से वादी द्वारा प्रतिवादीगण को धारा 107—116 से पांबद करवाने हेतु इस्तागासा पेश करने का कथन जवाबदावा में किया गया है। वादी द्वारा पीडब्लू—01 द्वारा दौरोन जिरह 107—116 का इस्तगासा पेश करने का कथन किया गया है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा इसका खण्डन करने हेतु कथन किया गया है कि उक्त इस्तगासा खारिज हो चुका है। परन्तु प्रतिवादी द्वारा भी जिरह के दौरान वादी के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का दावा वादी के पक्ष मे डिक्री किए जाने कोई आपत्ति नहीं होने के बयान महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त विवचेन के आधार पर अपने कथनों की पुष्टि गया है यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

10. तनकी संख्या 02:— इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या लगायत 4 पर है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी आदतन मुकदमेंबाज व्यक्ति है तथा षडयंत्र के तहत मनगंढत तथ्य अंकित कर न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर आगामी मुकदमा करने की फिराक में है। अतः वादी किसी भी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी व उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने उक्त कथनों की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मौखिक कथनों के आधार पर राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण तनकी संख्या 02 को साबित करने में असफल रहा।

11. तनकी संख्या 03:— इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण पर है। वाद पत्र में कायम तनकी —01 में साबित करने में सफल रहे है कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपनी भूमि का काबिज काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य गवाह पीडब्लू—01 द्वारा जिरह में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी से उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण की ओर से दखलअंदाजी की जाती है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः तनकी संख्या 01 को वादीगण द्वारा साबित करने की स्थिति में तनकी संख्या 03 वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित एंव न्यायसंगत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

12. तनकी संख्या 04:– दादरसी उक्त तनकीयात का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है।

13. इस प्रकार उपर्युक्त विवचेन के आधार पर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने ,सारवान होने के कारण एंव वादपत्र में कायम की गई तनकीयात के विनिश्चय से प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जाता है कि वादग्रस्त आरजी खसरा नम्बर 83 रकबा 3.6797 हैक्टैयर वाके ग्राम बधाल पटवार हल्का बधाल भू0अ0नि0 बधाल तहसील कि0 रेनवाल में वादी के राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त व उपयोग एंव उपभोग में दखलअंदाजी, मजाहमत पैदा नहीं करे , ना ही किसी भी प्रकार अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करे, ना ही बेदखल करे, ना ही किसी भी प्रकार से वादी की बोई हुई फसल का नुकसान कारित करे, ना ही किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत निर्माण इत्यादि करे। ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादी गण स्वंय करे , नाही अपने सर्वेन्ट, एजेन्ट , प्रतिनिधि आदि से करावे।

उक्त निर्णय/डिक्री किसी भी न्यायालय में जैरकार या दायर होने वाले किसी वाद/प्रार्थना पत्र/निगरानी या अन्य कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में लागू व प्रभावी नहीं होगा। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह0 किशनगढ रेनवाल को आदेश प्रदान किये जाते है। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 10/09/25 को खुले में सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

कमलेश बनाम नालीराम आदि
वाद सं० 36/20

डिक्री मुकदमा इब्तदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल

कहुजलास :— सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

1. कमलेश पुत्र नाथूराम जाति अहीर (यादव) निवासी रेल्वे गैट अंडरपास के सामने ब्याल तह० किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर राज०

वादी

बनाम

1. नालीराम पुत्र नाथूराम
2. कजोड़मल पुत्र नालीराम
3. श्योपुरी देवी पत्नी नालीराम
4. संतादेवी पत्नी कजोड़मल

समस्त जाति अहीर (यादव) नि० अमरखेडा के पास ग्राम ब्याल तह० कि०रेनवाल जिला जयपुर राज०

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वाद सं० 36/2020 पुराना 289/2023 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्ताई रूबरू श्री लक्ष्मण सिंह खंगारोत व हाजरी श्री राजकुमार यादव मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद साबित होने पर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 3. 0300 हैक्टेयर वाके ग्राम ब्याल पटवार हल्का ब्याल मु०अ०नि० ब्याल तहसील कि० रेनवाल में वादी के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त व उपयोग एंव उपभोग में दखलअंदाजी, मजाहमत पैदा नहीं करे , ना ही किसी भी प्रकार अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करे, ना ही बेदखल करे, ना ही किसी भी प्रकार से वादी की बोई हुई फसल का नुकसान कारित करे, ना ही किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत निर्माण इत्यादि करे। ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादी गण स्वंय करे , नाही अपने सर्वेन्ट, एजेन्ट , प्रतिनिधि आदि से करावे। उक्त निर्णय/डिक्री किसी भी न्यायालय में जेरकार या दायर होने वाले किसी वाद/प्रार्थना पत्र/निगरानी या अन्य कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में लागू व प्रभावी नहीं होगा। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निज ....–.... मुबलिग......–........ बाबत्....–...... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.......–........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......–......का अदा करे बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 07 सन् 25 ...... को जारी की गई।

मुहर

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमीश्नर	—	—
फीस कमीश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया
हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ किशनगढ़-रेनवाल